

कर राजस्व

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	(₹ करोड़) बजट 2019-2020
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	486113.18	527750.39	575795.77	657312.00
1.02.	अधिभार	0020	21439.48	63711.15	64777.02	73950.00
1.03.	शिक्षा उपकर/स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	16305.02	29538.46	30427.21	34738.00
1.04.	शास्तियां	0020	1526.86
1.05.	व्याज वसूलियां	0020	3209.30
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	41180.67
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	879.45
1.08.	विविध प्राप्ति	0020	547.91
जोड़-निगम कर			571201.87	621000.00	671000.00	766000.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	388197.66	461182.33	461182.33	495191.00
2.02.	अधिभार	0021	3172.17	36894.59	36894.59	39618.00
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	11869.08	19923.08	19923.08	21391.00
2.04.	शास्तियां	0021	424.93
2.05.	व्याज वसूलियां	0021	4318.02
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	9.94
2.07.	विविध प्राप्ति	0021	99.63
2.08.	बैंकिंग नकद लेन देन कर (बीसीटीटी)	0036	0.01
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	11881.40	11000.00	11000.00	12800.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.50
2.11.	व्याज कर	0024	4.45
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-93.29
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	10887.53
जोड़-आय पर कर			430772.03	529000.00	529000.00	569000.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.84
3.02.	धन पर कर	0032	62.59
जोड़-संपदा कर			63.43
4. सीमा शुल्क						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	80754.66	96300.00	115238.00	142940.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	33488.61	...	1500.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	9603.44	...	50.00	...
4.01.04.	हार्ड स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	6.77	...	3.00	...
4.01.05.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	576.68	750.00	515.00	545.00
4.01.06.	शिक्षा उपकर	0037	2014.20	...	38.00	...
4.01.07.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	984.32	...	14.00	...
4.01.08.	समाज कल्याण अधिभार	0037	1206.99	8000.00	9000.00	10080.00
जोड़-आयात शुल्क			128635.67	105050.00	126358.00	153565.00
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	163.72	288.00	200.00	224.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	230.53	112.00	280.00	315.00
4.04.	अन्य प्राप्ति	0037	...	7050.00	3200.00	1800.00
जोड़-सीमा शुल्क			129029.92	112500.00	130038.00	155904.00

(₹ करोड़)

5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क

5.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	116886.22	94000.00	93777.00	109046.00
5.02.	मोटर स्प्रेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	21935.11
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	61181.31
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	2938.44	1750.00	1800.00	1935.00
5.05.	मोटर स्प्रेट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	27343.04	36000.00	32000.00	41000.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	989.70	...	0.18	...
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	12.89	...	2.75	...
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	5.59	...	1.41	...
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	13579.21	14850.00	19000.00	21000.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	32.60	...	0.02	...
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	793.40	...	8.35	...
5.07.06.	ऑटोमोबाईल पर उपकर	0038	96.42	...	0.08	...
5.07.07.	अन्य	0038	48.61	...	0.50	...
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	11463.43	...	2.83	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	903.90	...	6.88	...
5.07.10.	मोटर स्प्रेट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर उत्पाद शुल्क	0038	...	113000.00	113000.00	127019.00
	जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर		26936.05	127850.00	132022.82	148019.00
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	323.30	...	2.00	...
5.08.02.	रबड़	0038	90.81	...	10.00	...
5.08.03.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	181.10	...	0.20	...
5.08.03.01.	व्यय घटाकर प्राप्ति	0045	-174.82
	निवल		6.28	...	0.20	...
5.08.04.	अनुसंधान और विकास	0045	191.41
5.08.05.	बीड़ी निधि	0038	11.48
5.08.06.	बस्त्र और बस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर	0038	0.47
	निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर		623.75	...	12.20	...
	निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क		258833.62	259600.00	259612.20	300000.00
6. सेवा कर						
6.01.	संग्रहण	0044	74150.66	...	8655.00	...
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	34.91	...	12.00	...
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	19.20	...	6.00	...
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	4243.40	...	240.00	...
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	2779.90	...	370.00	...
	जोड़-सेवा कर		81228.07	...	9283.00	...
7. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
7.02.	अन्य कर	0045	597.66
	जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क		597.66
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	0005	203261.40	603900.00	503900.00	526000.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	176688.44	50000.00	50000.00	28000.00
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	62611.59	90000.00	90000.00	109343.00
	जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)		442561.43	743900.00	643900.00	663343.00

(₹ करोड़)

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
9.01.	भू राजस्व	0710	4.08	8.75	10.00	53.21
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	205.37	225.80	224.00	305.72
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	780.00	1000.00	1059.00	1523.00
9.04.	बिक्री कर	0710	1706.49	1165.00	1235.00	1898.00
9.05.	वाहनों पर कर	0710	217.83	256.00	236.00	333.00
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	11.25	12.00	12.00	17.00
9.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	34.41	35.00	36.00	50.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	126.15	9.01
9.09.	केंद्र शासित माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	1635.10	2530.00	2530.00	2768.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			4720.68	5241.56	5342.00	6947.93
10. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-576.68	-750.00	-515.00	-545.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-2938.44	-1750.00	-1800.00	-1935.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-3515.12	-2500.00	-2315.00	-2480.00
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-673005.29	-768412.57	-736879.65	-809133.02
12.	घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	...	-19679.95	-24574.50	...
जोड़-कर राजस्व			1242488.30	1480649.04	1484406.05	1649581.91
कुल जोड़			1242488.30	1480649.04	1484406.05	1649581.91

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2019-20 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2018-19 के बीच अन्तर तथा 2019-20 के बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

1. **निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2018-2019 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, ₹6,71,000.00 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में ₹6,21,000.00 करोड़ है। 2019-20 का बजट अनुमान ₹7,66,000.00 करोड़ है।

2. **आय पर कर :** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2018-2019 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, ₹529000.00 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले, ₹529000.00 करोड़ है। 2019-20 के लिए बजट अनुमान ₹5,69,000.00 करोड़ है।

प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर से सम्मिलित शिक्षा उपकर जो 3% की दर से लगाया जाता है, को वित्त वर्ष 2018-19 से समाप्त कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 से आय-कर (अधिभार सहित) के 4% की दर से 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' लगाया जाता है।

3. **संपदा कर :** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए संपदा कर का वास्तविक संग्रहण ₹63.43 करोड़ का हुआ था। इस कर को 2016-17 से समाप्त कर दिया गया है।

4. **सीमा शुल्क :** 2018-19 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. ₹1,30,038.00 करोड़ है जबकि ब.अ. ₹1,12,500.00 करोड़ हैं। 2019-20 के लिए बजट अनुमान ₹1,55,904.00 करोड़ है।

4.01.01. **मूलभूत शुल्क :** सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर लगाया जाता है।

4.01.02. **सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) :** सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहरणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उद् ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

4.01.03. **विशेष सीवी शुल्क :** सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिस्तुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4% की दर से लगाया जाता है। इस शुल्क को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों जो जीएसटी से बाहर हैं, को छोड़कर) कर लिया गया है।

- 4.01.04. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- 4.01.05. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बिल अधिनियम, 2001 के तहत तथा कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 के तहत लगाया जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।
- 4.01.06. शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आवद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।
- 4.01.07. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है।
- 4.02. निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।
बकाया संग्रहण : 2017-18 में सीमा शुल्कों के बकायों का वास्तविक संग्रहण ₹1085 करोड़ था। सीमा शुल्कों के बकायों का संग्रहण सं.अ. 2018-19 तथा ब.अ. 2019-20 के लिए क्रमशः ₹4315 करोड़ और ₹1500 करोड़ है।
- 5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :** 2018-19 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान ₹2,59,612.00 करोड़ है जबकि बजट अनुमान ₹2,59,600 करोड़ है। 2019-20 के लिए ब.अ. ₹3,00,000 करोड़ है।
- 5.01. मूलभूत उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मूलभूत उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि सेनवेट दर को 27.02.2010 से 8% से बढ़ाकर 10% तथा 17.03.2012 से 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। 01.03.2015 से उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित कर लिया गया था तथा मानक सेनवेट दर को 12.5% पर औचित्यपूर्ण बनाया गया था। यह शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी (पेट्रोलियम उत्पाद जो जीएसटी से बाहर हैं) में सम्मिलित कर लिया गया है।
- 5.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम (सं.2) 1998 के तहत लगाया गया है। यह शुल्क सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।
- 5.03. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- 5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बिल अधिनियम, 2001 के तहत तथा कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 के तहत लगाया जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।
- 5.05. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** यह वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया जाता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
- 5.06. पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार:** सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीडी पर यह नहीं लगाया जाता है। यह शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत सम्मिलित कर लिया गया है।
- 5.07.08. स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर) :** इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में निर्मित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत सम्मिलित कर लिया गया है।
बकाया संग्रहण : 2017-18 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकायों का वास्तविक संग्रहण ₹1866 करोड़ रहा। इसका संग्रहण संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 में क्रमशः ₹2338 करोड़ और ₹3000 करोड़ का है।
- 6. सेवा कर :** 2018-19 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 'शून्य' बजट अनुमान की तुलना में शेष और बकाया भुगतानों के कारण ₹9283 करोड़ है। संपूर्ण सेवा कर को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है।
बकाया संग्रहण : 2017-18 में सेवाकर बकायों का वास्तविक संग्रहण ₹2265 करोड़ था। सेवाकर के बकाया संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2018-19 तथा बजट अनुमान 2019-2020 में क्रमशः ₹3347 करोड़ तथा ₹3000 करोड़ हैं।
- 8. माल और सेवा कर (जीएसटी) :** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के संशोधित अनुमान क्रमशः ₹5,03,900.00 करोड़ और ₹50,000 करोड़ है जबकि उनके ब.अ. क्रमशः ₹6,03,900.00 करोड़ और ₹50,000 करोड़ है। सीजीएसटी और आईजीएसटी के वित्त वर्ष 2019-20 के ब.अ. क्रमशः ₹526,000 करोड़ और ₹28,000.00 करोड़ है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के अन्योन्य-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यक्षीन है।